



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112021-231220
CG-DL-E-17112021-231220

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4399]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17, 2021/कार्तिक 26, 1943

No. 4399]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2021/KARTIKA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2021

का.आ. 4765(अ).—चूंकि, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 465(ई), दिनांक: 26 अप्रैल, 2002 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के (लखनादौन-सिवनी-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र बोर्डर) के 400.544 कि.मी. से 651.500 कि.मी. तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा जाए) को सौंपा है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथा संशोधित तथा अधिसूचना सं. का.आ. 4237(ई) दिनांक: 22 नवंबर 2019 तथा का.आ. 4180(ई) दिनांक: 19 नवंबर 2020 का अधिक्रमण करते हुए मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नया एनएच-44) के लखानदौन से मोहगांव से खवासा से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र बोर्डर खण्ड के डिजाइन कि.मी. 546.420 से 653.770 कि.मी. तक 4 लेन के उपयोग के लिए सड़क खंड की निवल लंबाई 90.451 कि.मी. तथा 35.990 कि.मी. (जिसकी बुनियादी लंबाई 3.599 कि.मी. है) की समकक्ष संरचना (जिसकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी (1) के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट 100% की दर से तथा बाइपासों, जिनकी लंबाई 13.3 कि.मी. और लागत दस करोड़ रु. या अधिक है, के उपयोग हेतु आधार दर के डेढ़ गुना से नीचे सारणी (1) के

कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर शुल्क की वसूली करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरा वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरा वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरा वाले)	4.20

1. नीचे लिए जाने वाला एवं संग्रहित किए जाने वाला शुल्क निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए उल्लिखित सड़क की निवल लम्बाई हेतु देय और भुगतान योग्य होगा:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में मडाई गांव के नजदीक एनएच-7 (नया एनएच-44) के 549.200 डिजाइन कि.मी. पर	50.296 (बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़कर)	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में खवासा गांव के नजदीक एनएच-7 (नया एनएच-44) के 651.750 डिजाइन कि.मी. पर	40.155 (बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़कर)	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपरोक्त के अलावा, 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाजा(ओं) के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क देय तथा भुगतान योग्य होगा:-

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	बाईपास का नाम	शुरुआती स्थान	विलय स्थान	बाईपास लम्बाई और जिसके अतिरिक्त शुल्क देय है		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ में)	
मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में मडाई गांव के नजदीक एनएच-7 (नया एनएच-44) के 549.200 डिजाइन कि.मी. पर	एनएच-7 (नया एनएच-44) का सिवनी बाईपास	डिजाइन कि.मी. 597.100 (मौजूदा कि.मी. 595.925)	डिजाइन कि.मी. 610.400 (मौजूदा कि.मी. 609.225)	13.300	90.00	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए

						आधार दरों का 150%
--	--	--	--	--	--	-------------------------

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

तालिका-3			
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई (किमी में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (किमी में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में मडाई गांव के नजदीक एनएच-7 (नया एनएच-44) के 549.200 डिजाइन कि.मी. पर	0.384 [^]	3.840	ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 100%
मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में खवासा गांव के नजदीक एनएच-7 (नया एनएच-44) के 651.750 डिजाइन कि.मी पर	3.215 ^{^^}	32.15	ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 100%

[^] विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जरीब-दूरी		बुनियादी ढांचा का प्रकार	लम्बाई (कि.मी.)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	554.902	554.990	बड़ा पुल (गणेशगंज बाईपास पर)	0.088
2	570.732	571.028	बड़ा पुल (छपरा बाईपास पर)	0.296
कुल				0.384

^{^^} विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जरीब-दूरी		बुनियादी ढांचा का प्रकार	लम्बाई (कि.मी.)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	626.665	627.165	पशुओं के लिए अंडरपास	0.500
2	630.027	631.427	पशुओं के लिए अंडरपास	1.400
3	632.015	632.085	पशुओं के लिए अंडरपास	0.070
4	632.311	632.401	पशुओं के लिए अंडरपास	0.090
5	632.581	632.671	पशुओं के लिए अंडरपास	0.090
6	634.600	634.675	पशुओं के लिए अंडरपास	0.075
7	636.015	636.135	पशुओं के लिए अंडरपास	0.120
8	643.476	643.976	पशुओं के लिए अंडरपास	0.500
9	652.350	652.650	पशुओं के लिए अंडरपास	0.300

10	648.965	649.035	बड़ा पुल	0.070
कुल				3.215

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए मासिक पास की दर 285.00/- रूपए (दो सौ पचासी रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

तालिका-4		
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की दिनांक: से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2120 करोड़ रूपए है। प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[एनएचएआई/13013/सीओ/20-21/फीनोटिफिकेशनएमेंडमेंट/पीफ/लखानदौन-सिवनी-मोहगांव-खवासासेक्शन]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2021

S.O. 4765(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465(E) dated 26th April, 2002 issued under Section 11 of the

National Highways Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 400.544 to Km. 651.500 (Lakhnadon- Seoni-Madhya Pradesh/Maharashtra Border) of National Highway number 7 In the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”)

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee(Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “rules”), and in supersession of the notification bearing No. S.O. 4237(E) dated 22nd November 2019 and S.O. 4180(E) dated 19th November 2020, the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the 100% of rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 90.451 km. and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 35.990 km. (having structure length 3.599 km.) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 13.3 km. costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of Four lane of Lakhnadon to Mohgaon to Khawasa to Madhya Pradesh/Maharashtra Border Section from design Km. 546.420 to Km. 653.770 of National Highway number 7 (New NH-44) in the State of Madhya Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle (1)	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees) (2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km 549.200 of NH-7 (New NH-44) near Village Madai in Seoni District of Madhya Pradesh	50.296 [Excluding length of Bypass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design Km 651.750 of NH-7 (New NH-44) near Village Khawasa in Seoni District of Madhya Pradesh	40.155 [Excluding length of Bypass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:-

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	

At Design Km 549.200 of NH-7 (New NH-44) near Village Madai in Seoni District of Madhya Pradesh	Seoni Bypass of NH – 7 (New NH-44)	Design km 597.100 (existing km 595.925)	Design km 610.400 (existing km 609.225)	13.300	90.00	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
---	------------------------------------	---	---	--------	-------	--

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design Km 549.200 of NH-7 (New NH-44) near Village Madai in Seoni District of Madhya Pradesh	0.384 [^]	3.840	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design Km 651.750 of NH-7 (New NH-44) near Village Khawasa in Seoni District of Madhya Pradesh	3.215 ^{^^}	32.15	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]The details are as under: -

Sr. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	554.902	554.990	Major Bridge (On Ganeshganj Bypass)	0.088
2	570.732	571.028	Major Bridge (On Chhapara Bypass)	0.296
Total				0.384

^{^^}The details are as under: -

Sr. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	626.665	627.165	Animal Underpass	0.500
2	630.027	631.427	Animal Underpass	1.400
3	632.015	632.085	Animal Underpass	0.070
4	632.311	632.401	Animal Underpass	0.090
5	632.581	632.671	Animal Underpass	0.090
6	634.600	634.675	Animal Underpass	0.075
7	636.015	636.135	Animal Underpass	0.120
8	643.476	643.976	Animal Underpass	0.500
9	652.350	652.650	Animal Underpass	0.300
10	648.965	649.035	Major Bridge	0.070
Total				3.215

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 285 (Two hundred And Eighty Five Only) for the year 2021-22 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 2120 crore. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[NHAI/13013/CO/20 21/FeeNotificationAmendment/PF/Lakhnadon-Seoni-Mohagaon-KhawasaSection]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.